

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की कार्रवाई
में जारी है

16.06.2025

वकील सायलान एवं गैरसायलान उपस्थित। वकील गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए काउण्टर क्लेम पेश किया कि प्रार्थना पत्र में सायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील सायलान का कथन है कि गैरसायलान बिना बंटवारा कराये विवादित आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे। गैरसायलान की ओर से उनके वकील ने कथन किया कि सायलान गैरसायलान के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते हैं, इसलिए उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा एक दूसरे को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है। पक्षकारों के मध्य अनावश्यक वाद ना बढ़े इसलिए उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है, कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायलान एवं काउण्टर क्लेम गैरसायलान स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर दिनांक 26.07.2018 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।


सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)